2026:CGHC:12939

2026:CGHC:12939

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक–517/2026

- जागृत साहू पिता–टेकराम साहू, उम्र–लगभग 30 वर्ष, निवासी–राम नगर, मुक्तिधाम, सुपेला, भिलाई, पुलिस थाना–सुपेला, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़

–––––अपीलार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना–जामुल, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़

–––––उत्तरवादी/राज्य

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा	:	श्री टी०के० झा, अधिवक्ता ।
राज्य/उत्तरवादी द्वारा	:	श्री आकाश अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता ।

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

!! आदेश पीठ पर पारित !!

18/03/2026

1. धारा 14(क)(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे आगे संक्षेप में "विशेष अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत प्रस्तुत इस अपील में विचारण न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (विशेष अधिनियम), दुर्ग,

जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ द्वारा पुलिस थाना–जामुल, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ के अपराध क्रमांक–69/2026 अंतर्गत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा विशेष अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन में पारित आदेश दिनांक–06/02/2026 (त्रुटिपूर्ण 'वर्ष–2025' उल्लेखित) को चुनौती दी गई है जिसके तहत अपीलार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश को संक्षेप में **"**प्रश्नाधीन आदेश**"** से संबोधित किया जा रहा है ।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 29 वर्षीय अभियोक्त्री, जो नौकरी कर अपना जीवनयापन करती रही, उसकी दिनांक 05/08/2022 को अपीलार्थी से मुलाकात हुई थी । उक्त मुलाकात के पश्चात अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को विवाह का प्रस्ताव दिया तथा उससे प्रेम का इजहार करते हुए दिनांक 10/10/2022 से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए तथा विवाह का आश्वासन देता रहा । अभियोक्त्री को यह जानकारी हुई कि अपीलार्थी का विवाह दिनांक 08/02/2026 से प्रारंभ होने वाला है । निवेदन पर उसने अभियोक्त्री से विवाह करने से इंकार कर दिया । अभियोक्त्री की लिखित शिकायत पर थाना जामुल, जिला दुर्ग में अपराध क्रमांक 69/2026 के तहत प्रथम सूचना पत्र दिनांक 01/02/2026 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई । विवेचना के दौरान अभियोक्त्री द्वारा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण में विशेष अधिनियम की धाराएँ भी जोड़ी गईं । गिरफ्तारी की आशंका से अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे विशेष अधिनियम की धारा 18 के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश को वर्तमान अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है ।

3. इस अपील के संबंध में अभियोक्त्री को दिनांक–27/02/2026 को सूचना प्रेषित की गई थी । जिसके अनुपालन में अभियोक्त्री, आज दिनांक 18/03/2026 को संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आभासी रूप से उपस्थित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिए जाने पर आपत्ति होने की अभिव्यक्ति की गई ।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोक्त्री, एक वयस्क महिला है जो इस प्रकार की शिकायतें करने की आदी है । वर्तमान प्रकरण में उसने यह आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 से दिसंबर, 2025 तक अपीलार्थी ने विवाह का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए । जबकि, इसी अभियोक्त्री द्वारा एक अन्य व्यक्ति, मुकेश सोनकर, के विरुद्ध थाना सुपेला, दुर्ग में शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिस पर दिनांक 10/09/2025 को अपराध क्रमांक 1065/2025 पंजीबद्ध किया गया । उक्त प्रकरण में भी अभियोक्त्री ने वर्ष 2023 से विवाह के आश्वासन के आधार पर शारीरिक संबंध स्थापित करने का आरोप लगाया है, जिसमें मुकेश सोनकर के विरुद्ध विचारण लंबित है । उस प्रकरण में अभियोक्त्री ने लिखित रूप से यह उल्लेख किया था कि उसके पास जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है ।

5. विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा प्रारंभ में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), दुर्ग के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जहां अभियोक्त्री ने स्वयं उपस्थित होकर जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया तब क्षेत्राधिकार के अभाव में दिनांक 05/02/2026 को गुण–दोष पर विचार किए बिना निरस्त कर दिया गया । तत्पश्चात अपीलार्थी ने विशेष न्यायाधीश, दुर्ग के समक्ष विशेष अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर प्रश्नाधीन निरस्ती आदेश पारित किया गया है ।

6. आगे यह भी तर्क किया गया कि अभियोक्त्री द्वारा अपीलार्थी को झूठे प्रकरण में फँसाने की धमकी दी जा रही थी, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 27/01/2026 को पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अभियोक्त्री द्वारा उससे ₹5,00,000/– की मांग की जा रही थी, अन्यथा उसे जेल भिजवाने एवं जीवन नष्ट करने की धमकी दी जा रही थी ।

7. विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क किया गया कि जिस लिखित शिकायत के आधार पर वर्तमान अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसमें किसी प्रकार का जातिगत आरोप नहीं लगाया गया था तथा प्रारंभिक स्तर पर अभियोक्त्री द्वारा जाति प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था । अभियोक्त्री का आचरण संदेहास्पद है, क्योंकि उसने लगभग समान समयावधि में दो भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध समान प्रकृति के आरोप लगाए हैं । उपरोक्त परिस्थितियों में प्रकरण प्रथमदृष्टया संदेहास्पद है तथा "विशेष अधिनियम" की धारा 18 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं । विचारण न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर त्रुटि की गई है । परिणामस्वरूप, प्रश्नाधीन आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाए । अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता द्वारा **Prathvi Raj Chauhan v. Union of India and others, (2020) 4 SCC 727** के निर्णय का हवाला दिया गया है ।

8. उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के तर्क का विरोध करते हुए कहा है कि अभियोक्त्री अनुसूचित जाति वर्ग की सदस्य है । उसकी शिकायत के अवलोकन से प्रथमदृष्टया "विशेष अधिनियम" के अंतर्गत अपराध परिलक्षित होता है । अभियोक्त्री द्वारा जाति प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर विशेष अधिनियम की धाराएँ

जोड़ी गई हैं । विशेष अधिनियम की धारा –18 के प्रावधान आकर्षित होने से अपीलार्थी का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है । अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध रहा है, जिससे उसका आपराधिक आचरण परिलक्षित होता है । प्रश्नाधीन अग्रिम जमानत निरस्ती संबंधी आदेश उचित और वैध है । अतः जमानत संबंधी प्रस्तुत अपील खारिज किया जाए ।

9. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया तथा अभिलेख एवं केस डायरी का परिशीलन किया गया ।

10. अपीलार्थी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन, विचारण न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 में निहित प्रतिबंध को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किया गया है; तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रतिबंध के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Dr. Subhash Kashinath Mahajan vs. State of Maharashtra and another**, प्रकाशित (2018) 6 एससीसी 454, में विचार करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि यदि अभियुक्त प्रथमदृष्टया यह प्रदर्शित करने में सक्षम हो कि उसके द्वारा कोई अत्याचार कारित नहीं किया गया है तथा आरोप दुर्भावनापूर्वक लगाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में धारा 18 के अंतर्गत निहित प्रतिबंध आकर्षित नहीं होगा; इस संदर्भ में उक्त निर्णय के अनुच्छेद 50, 51, 53 एवं 55 प्रासंगिक हैं, जो निम्नानुसार हैं :—

> **"50.** We have no quarrel with the proposition laid down in the said judgment that persons committing offences under the Atrocities Act ought not to be granted anticipatory bail in the same manner in which the anticipatory bail is

granted in other cases punishable with similar sentence. Still, the question remains whether in cases where there is no prima facie case under the Act, bar under Section 18 operates can be considered. We are unable to read the said judgment as laying down that exclusion is applicable to such situations. If a person is able to show that, prima facie, he has not committed any atrocity against a member of SC and ST and that the allegation was mala fide and prima facie false and that prima facie no case was made out, we do not see any justification for applying Section 18 in such cases. Consideration in the mind of this Court in Balothia (1995 3 SCC 221) is that the perpetrators of atrocities should not be granted anticipatory bail so that they may not terrorise the victims. Consistent with this view, it can certainly be said that innocent persons against whom there was no prima facie case or patently false case cannot be subjected to the same treatment as the persons who are prima facie perpetrators of the crime.

51. In view of the decisions in Vilas Pandurang Pawar (2012 8 SCC 795) and Shakuntla Devi (2014 15 SCC 521), the learned ASG has rightly stated that there is no absolute bar to grant anticipatory bail if no prima facie case is made out inspite of validity of Section 18 of the Atrocities Act being upheld.

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

53. It is well settled that a statute is to be read in the context of the background and its object. Instead of literal interpretation, the court may, in the present context, prefer purposive interpretation to achieve the object of law. Doctrine of proportionality is well known for advancing the object of Articles 14 and 21. A procedural penal provision affecting liberty of citizen must be read consistent with the concept of fairness and reasonableness.

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

> **55.** In the present context, wisdom of legislature in creating an offence cannot be questioned but individual justice is a judicial function depending on facts. As a policy, anticipatory bail may be excluded but exclusion cannot be intended to apply where a patently mala fide version is put forward. Courts have inherent jurisdiction to do justice and this jurisdiction cannot be intended to be excluded. Thus, exclusion of Court's jurisdiction is not to be read as absolute."

11. विशेष अधिनियम की धारा–18 के तहत अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध के बाबत् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **Prathvi Raj Chauhan** (पूर्वोक्त) में निम्नानुसार अवधारणा व्यक्त की गयी हैः–

> "Even though, offence under the Act of 1989 is registered, where application for grant of anticipatory bail is filed, the Court is required to apply its mind to the relevant provisions of law and considerations as specified by the Supreme Court in the case of **Prathvi Raj Chauhan (Supra)** and if material on record leads to satisfaction that the complaint does not make out a prima facie case, for applicability of the provisions of the Act of 1989, the bar created under Section 18 of the Act of 1989 shall not apply and in appropriate cases of exceptional nature, benefit of anticipatory bail could be admitted to the applicant."

12. उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में, विचाराधीन मामले में अभिलेख के परिशीलन से यह प्रथमदृष्टया परिलक्षित होता है कि जिस स्वरूप की शिकायत अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोक्त्री द्वारा की गई है, उसी स्वरूप एवं लगभग उसी समयावधि से संबंधित एक अन्य शिकायत भी अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 10/09/2025 को थाना सुपेला, जिला दुर्ग में एक अन्य व्यक्ति, मुकेश सोनकर, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसमें वर्तमान में विचारण

लंबित है । उक्त प्रकरण में अभियोक्त्री द्वारा लिखित रूप से यह भी उल्लेख किया गया था कि उसके पास जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत लिखित शिकायत में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि अभियोक्त्री किस जाति वर्ग से संबंधित है, अथवा अपीलार्थी द्वारा उसकी जाति की जानकारी रखते हुए या आशयपूर्वक कोई अपराध किया गया हो । इसी प्रकार, अभियोक्त्री की शिकायत के आधार पर जो प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध की गई, वह प्रारंभ में केवल भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 के अंतर्गत दर्ज की गई थी, न कि "विशेष अधिनियम" के प्रावधानों के तहत । ऐसी स्थिति में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी ने अपने विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होने से पूर्व ही दिनांक 27/01/2026 को पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के समक्ष एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अभियोक्त्री द्वारा उससे ₹5,00,000/– की मांग की जा रही है तथा मांग पूरी न करने पर उसे झूठे प्रकरण में फँसाने की धमकी दी जा रही है । साथ ही, यह भी परिलक्षित होता है कि समान समयावधि से संबंधित इसी प्रकृति का एक अन्य प्रकरण अभियोक्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रस्तुत किया गया है ।

13. ऐसी दशा में अभिलेख पर उपलब्ध समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांत के आलोक में अपीलार्थी का मामला अग्रिम जमानत योग्य पाया जाता है ।

14. अतः प्रश्नाधीन आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी जागृत साहू का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है । यह आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी थाना जामुल के अपराध क्रमांक–69/2026 में गिरफ्तारी की अवस्था में, प्रकरण के अंतिम निराकरण

तक अपनी नियमित उपस्थिति हेतु रु. 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत मुचलका तथा उतनी ही राशि का एक सक्षम जमानतदार संबंधित पुलिस अधिकारी या न्यायालय के संतुष्टि योग्य प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगाः–

i. अपीलार्थी, पुलिस की विवेचना एवं अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगा ।

ii. अपीलार्थी, मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति अथवा किसी भी साक्षी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, दबाव या धमकी नहीं देगा ।

iii. अपीलार्थी, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत की सीमा से बाहर नहीं जाएगा ।

iv. अपीलार्थी, विचारण के दौरान बिना किसी अनावश्यक स्थगन की माँग किए, प्रत्येक नियत तिथि पर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा परीक्षण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा ।

v. अपीलार्थी, जमानत पर रिहा होने के पश्चात् जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा ।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन